

अत्यआवश्यक

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेषक,

सुबास चन्द्र सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (नाम से)
झारखण्ड, राँची ।

विषय:- आम जनता से संबंधित सेवाओं का पहचान एवं एक समय-सीमा के तहत क्रियान्वयन विन्दु (Deliver Point) पर उनका त्वरित निष्पादन ।

प्रसंग:- विभागीय ज्ञापांक-18/डी०एस० दिनांक-29.05.2007 तथा
ज्ञापांक-25/डी०एस० दिनांक-18.06.2007

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव से प्राप्त निदेश के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग में आम लोगों से संबंधित सेवाओं का पहचान एवं उनके निष्पादन हेतु समय-सीमा के निर्धारण के संबंध में विभागीय निर्णय इसके साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अतः अनुरोध करना है कि चिन्हित सेवाओं के संबंध में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कराने एवं एतद् संबंधि सूचना संबंधित कार्यालयों में आम सूचना पट पर प्रदर्शित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय तथा कृत कार्रवाई की सूचना दिनांक- 22.06.2007 तक उपलब्ध कराई जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(सुबास चन्द्र सिन्हा)
सरकार के उप सचिव ।

मुख्य सचिव, झारखण्ड के अर्द्धसरकारी पत्र सं० 197/सी०एस० दिनांक-25.05.2007 एवं 234/सी०एस० दिनांक-16.06.2007 के आलोक में विभागीय निर्णय ।

(क)

क्र०सं०	सेवा/कार्य	निष्पादन हेतु समय व्योरा	प्राधिकृत पदाधिकारी कार्य विन्दु	अभियुक्ति
1.	वन्य जन्तुओं से मानव जान-माल की क्षति होने पर मुआवजा का भुगतान ।	मुआवजा भुगतान के लिए विभागीय ज्ञापांक 1308 दिनांक 10.05.2001, 1408 दिनांक 26.03.2002, ज्ञापांक 3550 दिनांक 09.08.2002 एवं पत्रांक 4058 दिनांक 19.08.2006 द्वारा प्रक्रिया एवं समय निर्धारित है । भुगतान हेतु प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी	घटना से संबंधित प्रतिवेदन की तिथि एवं मुआवजा भुगतान हेतु मामले के निष्पादन की तिथि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी ।
2.	रैयतों के निजी वृक्षों का पातन एवं परिवहन	इसके लिए झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 में प्रक्रिया एवं समय सीमा निर्धारित है । उक्त समय सीमा के अनुसार लगभग दो माह के भीतर प्रक्रिया पूरा किया जा अंकित है ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वृक्ष पातन हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं पातित वृक्ष के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत होने की तिथि सूचना पट्ट प्रदर्शित की जायेगी ।
3.	राज्य अंतर्गत आरामिलों/काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीकरण ।	इस हेतु प्राप्त आवेदन के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा पूर्व से निर्धारित नहीं है । इसके लिए एक माह का समय पर्याप्त प्रतीक होता है ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी /वन संरक्षक	इस संबंध में आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं निष्पादन की तिथि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी ।
4.	वन भूमि के अपयोजन/खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।	वन (संरक्षण) नियमावली 20 में इसके लिए समय सीमा निर्धारित है निर्धारित समय सीमा के अनुसार नामिक पदाधिकारी को प्रस्ताव प्राप्त होने के 210 दिनों के भीतर प्राप्त प्रस्तावों का राज्य सरकार के स्तर से निष्पादन एवं भारत सरकार को अग्रसारित किया जाना अपेक्षित है ।	नामिक पदाधिकारी/वन एवं पर्यावरण विभाग	वन भूमि अपयोजना हेतु प्राप्त प्रस्ताव की तिथि एवं इसे राज्य सरकार को अग्रसारित करने की तिथि नोडल पदाधिकारी तथा प्रस्ताव को क्षेत्रीय कार्यालय/भारत सरकार को अग्रसारित किये जाने तिथि वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी ।
5.	सेवानिवृत्त कर्मियों को देय पावनाओं का भुगतान	इसके लिए सरकार पूर्व से समय सीमा निर्धारित है । प्रवृत्ति के पूर्व कम से कम छः पहले पेंशन कागजात की तैयार दावों के निर्धारण की कार्रवाई में की जानी है एवं सामान्य मामलों सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर सभी सेवाओं यथा सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति/एस०पी० की स्वीकृति/सम्पुष्टि अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा अस्त अद्यतन करने एवं पेंशन/उप भुगतान की कार्रवाई हेतु इस समय का दृढ़ता से अनुपालन अपेक्षित ।	संबंधित कार्यालय प्रधान	(प) सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों की सेवानिवृत्ति के कम से कम छः माह पहले सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी । साथ ही संबंधित कर्मियों को भी पत्र द्वारा इसकी सूचना दी जायेगी । (पप) सेवानिवृत्ति के उपरांत विभिन्न दावों की स्वीकृति एवं भुगतान की तिथि सूचना पट्ट पद पर प्रदर्शित की जायेगी (पपप) अधीनस्थ कार्यालयों से आगामी 18 माह में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों की सूची प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रत्येक माह के

				दस तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी ।
6.	लोक शिकायत	सभी वन प्रमंडल/वन कार्यालयों में लोक शिकायत से सभी पत्र प्राप्त करने हेतु शिकायत का की व्यवस्था तथा संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा प्रत्येक दिन पेट खोली तथा प्राप्त शिकायतों की पत्र संघारित की जायेगी ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी /वन क्षेत्र पदाधिकारी	शिकायतों के प्राप्त होने की तिथि तथा उस पर कृत कार्रवाई की तिथि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी ।
7.	न्यायाधीन मामलों में जब्त सम्पत्ति का निष्पादन	जब्त सम्पत्ति यदि क्षतिग्रस्त होनेवाली है तो संबंधित दण्डाधिकारी जिसके न्यायालय में मामला चल रहा है, से जब्त सम्पत्ति के निष्पाद हेतु दो माह के भीतर संबंधित प्रमंडल पदाधिकारी समुचित आदेश प्राप्त करेंगे ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी	सम्पत्ति जब्त होने की तिथि, सक्षम दण्डाधिकारी से समुचित आदेश हेतु याचिका दाखिल करने, दण्डाधिकारी से आदेश प्राप्त होने एवं अन्य सम्पत्ति के निष्पादन की तिथि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी ।
8.	एक निर्धारित सीमा तक वन मुकदमा के प्रसमन (Compounding) की शक्ति सहायक वन संरक्षकों को प्रत्यायोजित किया जाना ।	प्रसमन योग्य वन आपसे मामलों के प्रसमन हेतु शक्ति संलग्न सहायक वन संरक्षक को प्रत्यायोजित करने की सीमा एक माह के भीतर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक प्रादेशिक वन क्षेत्र कार्यालय में प्रतिमाह प्रसमन शिविर का आयोजन एवं एतद् संबंधि सूचना क्षेत्र कार्यालय द्वारा आम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव-विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास/कार्य नियोजना, शोध संव०प्र० एवं अनुश्रवण, झारखण्ड, राँची/ सभी क्षेत्रीय वन्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं उप वन संरक्षक, झारखण्ड।

राँची/दिनांक: 26 जून, 2007

विषय: आम जनता से संबंधित सेवा की पहचान एवं एक समय-सीमा के तहत क्रियान्वयन बिंदु (Deliver Point) पर उनका त्वरित निष्पादन ।

प्रसंग: वन विभागीय पत्रांक-3006 दिनांक: 20.06.2007

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधिन संप्रेषण की छायाप्रति अत्र-सह-संलग्न भेजी जा रही है । पत्र में आम लोगों संबंधित सेवाओं की पहचान करते हुए उनके निष्पादनार्थ समय-सीमा निर्धारण के संबंध में विभागीय निर्णय अनुपालनार्थ प्राप्त हुआ है ।

अनुरोध हे कि चिन्हित सेवाओं के संबंध में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने/कराने एवं तत्संबंधी सूचना संबंधित कार्यालयों के सूचना-पट्ट पर अविलंब प्रदर्शित करना/कराना सुनिश्चित किया गया जाय ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव-विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची, सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची, मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची एवं सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उपरोक्त निदेशों का समेकित अनुपालन प्रतिवेदन पुनरुक्त समेकित अनुपालन प्रतिवेदन लौटती डाक से भेजने की कृपा की करें ।

अनु०: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।**